न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी—डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 95/2021

तारीख रजू 01.03.2021

केशरा पुत्र नोन्दा जाति खटीक निवासी खण्डार

——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार ।

———— रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 30/11/21

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 112/2021 मे पारित आदेश दिनांक 29.01.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम जयसिंहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 337/3 रकबा 2.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेहड पर संवत 2077 मे अनाधिकृत रूप से बाड लगाकर कब्जा करने का कर्ता मानकर अतिचारी मानते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। यह है कि अपीलान्टगण को आराजी खसरा नम्बर 337/3 पर अतिचारी मानते हुऐ पैलन्टी तथा बेदखली से दण्डित किया है, उक्त निर्णय रूहे दर मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों से परे होने से निरस्तनीय है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एक मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर पारित किया गया है, अपीलान्ट को हल्का पटवारी से जिरह का कोई अवसर प्राप्त, नहीं हुआ है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अतिचारी होने का कोई रिकार्ड नहीं है ना ही पूर्व में पारित बेदखली है, तथा पूर्व में पारित भौतिक बेदखली के वक्त उपस्थित गवाहों के बयान रिकार्ड पर नहीं लिये है इस कारण भी गलत रूप से अपीलान्ट को अति[illegible] कानूनी होने से निरस्तनीय है। यह है कि अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का कोई समुचि[illegible]वस[illegible] नहीं किया गया है इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय [illegible] कानून होने [illegible] निरस्तनीय है।यह है कि अपीलार्थी के विरूद्ध नियमविरूद्ध गिरफ्तारी वा[illegible] जारी [illegible] निर्णय दिनांक [illegible]/2021 में किसी तरह के सिविल कारावा[illegible] का जि[illegible] नहीं पाया गया गया है। [illegible] वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2021 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:28:40 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व अतिचारी साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर स्वयं अपीलार्थी की तामिल करवाई गई तथा अपीलार्थी के हस्ताक्षर नोटिस की पुश्त पर मौजूद है। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नही दिया गया है मान्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली पर मौजूद आदेशिका दिनांक 22/02/2021 का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अतिक्रमी को न्यायालय नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा तीन माह के साधारण सिविल कारावस से दण्डित किया गया है तथा प्रार्थी के विरूद्व गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया जबकि आदेश दिनांक 29/01/2021 में किसी तरह की सजा तथा प्रार्थी को जारी गिरफ्तारी वारण्ट का जिक्र नहीं पाया जाता है। अतः अदालत मातहत का निर्णय त्रुटिपूर्ण प्रतित होता है तथा निरस्तनीय प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार खण्डार का निर्णय दिनांक 29/01/2021 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/11/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:28:40 IST
Reason: SelfAttested